

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प. 35(18)चिस्वा/ग्रुप-3/2022

जयपुर दिनांक: 11 OCT 2022

अधिसूचना

11. OCT. 2022

The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (2021 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 47) की धारा 27 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित सारणी अनुसार राज्य में State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board का गठन करती है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम	पद	विशेष विवरण
1	Minister Health and Family Welfare	Chairperson	Ex officio
2	Secretary Medical and Health	Vice Chairperson	Ex officio
3	Director ICDS or their nominee	Member	Ex officio
4	Secretary Social Welfare or their nominee	Member	Ex officio
5	Director (FW) M&HS Rajasthan	Member	Ex officio
6	Joint Secy. Medical, Health & Family Welfare (Gr.3)	Member Secretary	Ex officio

राज्यपाल की आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, Department of Health Research, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नईदिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, Department of Health Research स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नईदिल्ली।
6. निजी सचिव, शारदा सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।